

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (राज०)-11/2017 3779 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-
श्रीमती रीता कुमारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी (पर्यवेक्षकीय संवर्ग), पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत
को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अधीन नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर
परिषद, रक्सौल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(शिव प्रसाद राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (राज०)-11/2017 3779 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- 6/6/17
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ
प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार,
पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/संबंधित पदाधिकारी (श्रीमती रीता कुमारी)/
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रक्सौल/सुगौली/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास
एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


5.6.17

सरकार के अवर सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।